Harmful effects of chemical Treatment of Fruits

6410. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to State:

(a) whether it is fact that bananas, mangoes and some other fruits are being fast-ripened through chemical treatment;

(b) if so, what chemica' is applied and to which fruit;

(c) whether there has been any scientific study of the harmful nature of such treatment;

(d) if so, what are the findings thereof; and

(e) if not, whether Government would consider a time-bound study of the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) to (e) As per information provided by Indian Council of Medical Research, Carbide gas which is generally used for ripening of fruits like bananas, mangoes and some other fruits is usually generated from Calcium Carbide. During this process, gases like Hydrogen Sulphide and Phosphine are probably produced in small amounts. These gases are known to produce gastro-entestinal side effects like nausea, vomiting as well as headache. There is, however, little information regarding the residual amounts of these gases in the fruit at the time of consumption.

To stop the malpractices, the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 already prohibits use of Carbide Gas in ripening of fruits.

डाक्टरों को रियायतें

6411. श्री मूलचन्द मीणा:
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए विशेष रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में रियायतें समाप्त कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रियायतों के पुनः प्रावधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) केन्द्र सरकार ने देश के आदिवासी उपयोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष रियायत देने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हानिकारक औषधियों से नशा-मुक्ति

6412. श्री सतीश प्रधान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि स्मैक-रोधी औषधियों को मरीज सीधे बाजार से न खरीद सकें;

(ख) क्या मरीज इस स्मैक-रोधी औषधियों के नियमित सेवन से इनके आदी हो जाते हैं;

(ग) क्या एक ही सिरिंज का बार-बार उपयोग करने से वे एड्स जैसी भयंकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं;

(घ) सरकार "एड्स" के ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है; और

(ङ) उपर्युक्त औषधियों को बिना नुस्खे (प्रिस्क्रिप्शन) के बेचने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) औषध दुर्व्यसन वाले व्यक्तियों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं/इंजैक्शन औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियम की अनुसूची "ज" के